

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना(संशोधित) ॥

पटना-01, दिनांक-18/3/25

सं०सं०-1/प्रशि० निजी-05/2019.....119...../ विभागीय अधिसूचना सं० 104 दिनांक 14.01.2025 को संशोधित करते हुए श्री सुमित कुमार साह, उप निदेशक(प्रावैधिक शिक्षा) निदेशालय, प्रशिक्षण(मुख्यालय), पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 25.11.2024 से दिनांक 20.12.2024 तक कुल 26 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरांत इनके अवकाश लेखा में दिनांक 21.12.2024 तक कुल 241 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Signed by Rajeev Ranjan

(Date: 17-03-2025) 17:47:17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-05/2019.....119...../पटना-01, दिनांक-18/3/25
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/श्री सुमित कुमार साह, उप निदेशक(प्रावैधिक शिक्षा) निदेशालय, प्रशिक्षण(मुख्यालय), पटना/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव